महत्वपूर्ण

संख्या–1216/38–6–10–1एल.सी./2008

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग–6 लखनऊ दिनांक: 26 अक्टूबर, 2010

विषयः– **स्वर्ण जयन्ती ग्राम्य स्वरोजगार योजनान्तर्गत सरस हाट/विलेज हाट के संचालन के संबंध में मार्ग निर्देश।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आपके पत्रांक 1556/ए0म0से0/एस0जी0एस0वाई0/2010 दिनांक 13 मई. एवं पत्रांक 1672/ए0म0से0/एस0जी0सव0वाई0/सरस हाट/2010 दिनांक 18.8. 2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में स्वर्ण जयती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत गठित स्वयं सहायता समूहो के उत्पादो के विपणन व्यवस्था सुदृढ करने के उद्देश्य से प्रदेश के समस्त जनपदों में वित्तीय वर्ष 2008–09 में 280. वर्ष 2009–10 में 199 तथ भारत सरकार द्वारा स्वीकृत 210 विलेज हाट का निर्माण कराया जा रहा है। प्रदेश में निर्मित हो रहे सरस हाट/विलेज हाट का संचालन निम्न व्यवस्थानुसार किया जायेगाः–

(1) <u>अनुरक्षण एवं प्रबन्धन हेतु समिति का गठन</u>

ग्राम पंचायत स्तर पर सरस हाट के अनुरक्षण हेतु सरस हाट प्रबन्धन समिति का गठन किया जायेगा.जिसमें ग्राम पंचायत प्रतिनिधि के रूप में ग्राम प्रधान स्वयं सहायता समूह के प्रतिनिधि के रूप में समूह के अध्यक्ष अथवा कोषाध्यक्ष एस0जी0एस0वाई0 समूहो के फेडरेशन के अध्यक्ष, ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी सम्मिलित होंगे।

हाट अपने दैनिक खर्चों के लिये अपने संसाधनों के बदले शुल्क प्राप्त करेगी। हाट के अनुरक्षण हेतु उचित शुल्क लगाने की दर सरस हाट प्रबन्धन समिति द्वारा निर्धारित की जायेगी। दुकानों का आवंटन एवं शुल्क प्राप्त करने की जिम्मेदारी प्रबन्धन समिति की होगी जो सरस हाट से प्राप्त शुल्क से अनुरक्षण का कार्य करायेगी। सरस हाट में अतिरिक्त दुकानें एवं अन्य सुविधायें बढ़ाने का कार्य उपलब्ध धनराशि के आधार पर किया जायेगा।

(2) <u>स्टाल का आवंटन</u>

ग्राम स्तर पर सरस हाट स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत गठित स्वयं सहायता समूहों के लाभार्थी को 70 प्रतिशत स्थान आवंटित किया जायेगा। शेष 30 प्रतिशत स्थान उन लोगों को आवंटित किया जायेगा जो शुल्क अदा करेंगे। यह प्रयास किया जायेगा कि एस0जी0एस0वाई0 स्वरोजगारियों से कोई शुल्क न लेना पड़े,परन्तु आवश्यकता पड़ने पर न्यूनतम शुल्क ही लिया जायेगा। किसी भी समूह को अथवा व्यक्ति को दुकान स्थाई तौर पर आवंटन नही किया

—2

जायेगा। दुकान का आवंटन रोटेशन के आधार पर किया जायेगा जिससे कि सभी स्वरोजगारियों या व्यक्तियों को इस सुविधा का लाभ मिलता रहे।

(3) स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अर्न्तगत गठित समूहो के मध्य सरस हाट में दुकानों का आवंटन एक माह के लिये रोस्टर के आधार पर किया जायेगा।

(4) सरस हाट का संचालन प्रारम्भ होने के पश्चात् यदि कोई कठनाई आती है तो सरस हाट के संचालन के लिये गठित समिति के सुझाओं के अनुसार यथा आवश्यक संशोधन जिला ग्राम्य विकास अभिकरण की कार्य समिति के अनुमोदन से किया जायेगा।

(5) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सरस हाट परिसर में पटरी दुकानदारों की भॉति स्वरोजगारी भी अपने उत्पादों की विकी कर सकें।

(6) मासिक शुल्क की दर रू0–100.00 से अधिक न रखी जाय।

(7) आवंटन का चकानुकम इस प्रकार निर्धारित किया जाये कि प्रत्येक स्वरोजगारी को अवसर प्राप्त हो सकें।

कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

25.10.10

(मनोज कुमार सिंह)
सचिव।

संख्या–1216(1)/38–6–2010 तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
2– समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
3– समस्त परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण उ0प्र0।
4– गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(राम सेवक)
अनु सचिव।

o/-